न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/74

रामकरण आयु 58 वर्ष आत्मज श्री देवा जाति गुर्जर निवासी चावण्डिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. नारायणी पत्नी श्री रामधन जाति गुर्जर निवासी चावण्डिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. रामधन आत्मज श्री भैरू जाति गुर्जर निवासी चावण्डिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. हीरालाल आत्मज श्री भैरू जाति गुर्जर निवासी चावण्डिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. नन्दू पुत्री श्री भैरू जाति गुर्जर निवासी चावण्डिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. गट्टू बाई पुत्री श्री भैरू जाति गुर्जर निवासी चावण्डिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. मथुरा बाई पुत्री श्री भैरू जाति गुर्जर निवासी चावण्डिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. उद्दा आत्मज श्री झेल्या जाति गुर्जर निवासी चावण्डिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. भोज्या आत्मज श्री झेल्या जाति गुर्जर निवासी चावण्डिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
9. हरदेव आत्मज श्री झेल्या जाति गुर्जर निवासी चावण्डिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
10. देवकरण आत्मज श्री रामधन जाति गुर्जर निवासी चावण्डिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
11. सत्यनारायण आत्मज श्री हीरालाल जाति गुर्जर निवासी चावण्डिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
12. कैलाश आत्म्ज श्री भोज्या जाति गुर्जर निवासी चावण्डिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
13. भंवर लाल आत्मज श्री भोज्या जाति गुर्जर निवासी चावण्डिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
14. किशना आत्मज श्री भोज्या जाति गुर्जर निवासी चावण्डिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
15. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश नामधराणी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 16.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.02.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 14.07.2017 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया ।

4. तत्पश्चात् प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमियॉ ग्राम चावण्डिया में स्थित है । प्रार्थी की अन्य खातेदारी भूमियों के साथ ही प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 204 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 205 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा स्थित हैं । प्रार्थी की उक्त भूमियों के उत्तरी ओर अप्रार्थीगण के स्वामित्व की भूमियॉ खसरा नम्बर 174, 173, 172 व खसरा नम्बर 164 व 163 सिवायचक हैं । प्रार्थी अपने स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि खसरा नम्बर 204 व 205 पर आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 174, 173, 172, 164 व 163 पर बने 20 फिटर चौडे रास्ते का उपयोग कर अपनी भूमियों पर आता–जाता है । उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 204 व 205 पर आने–जाने का कोई रास्ता नहीं है । रास्ते के विवाद के सम्बन्ध में दिनांक 14.07.2017 को लोक अदालत में दोनों पक्षकारों की सहमति से आराजी खसरा नम्बर 164 में से 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 2679/163 में से 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 173 में से 03 बिस्वा व खसरा नम्बर 174 में से 01 बिस्वा कुल 07 बिस्वा सिवायचक भूमि एवं 08 बिस्वा भूमि खातेदारी पर 12 फिट चौडे गै0मु0 रास्ता सिवायचक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये थे । जिसकी एवज में अप्रार्थीगण को डीएलसी दर की दुगुनी राशि प्रार्थी द्वारा भुगतान करने का आदेश दिया गया । उक्त आदेश में खसरा नम्बर 164 डीएलसी दर 86107/– रूपये व खसरा नम्बर 173, 174, 163 की डीएलसी दर 98408/– रूपये प्रतिबीघा के हिसाब से 15 बिस्वा भूमि की दो गुनी राशि कुल 3,69,030/– रूपये का भुगतान प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को किये जाने का आदेश पारित किया था । न्यायालय द्वारा दिये आदेश अनुसार खसरा नम्बर 164 की डीएलसी दर 86107/– रूपये प्रतिबीघा व खसरा नम्बर 173, 174, 163 की डीएलसी दर 98408/– रूपये प्रतिबीघा है । इस प्रकार खसरा नम्बर 164 में से रास्ते के रूप में अंकित की गई भूमि 07 बिस्वा की मुआवजा राशि 60275/– रूपये बनती है एवं इसी प्रकार खसरा नम्बर 173, 174, 163 में से रास्ते के रूप में अंकित की गई भूमि 08 बिस्वा की मुआवजा राशि 78727/– रूपये बनती है । उक्त भूमियों में दिये गये रास्ते की कुल राशि 1,39002/– रूपये होती है । न्यायालय द्वारा पारित आदेश में प्रार्थी द्वारा अदा की जाने वाली राशि की [illegible] सहवन से 3,69030/– रूपये की गई है जबकि मुआवजा की राशि 1,39002/– रूपये होती है । न्यायालय ने जो गणना की है वह 15 बिस्वा भूमि के स्थान पर 02 बीघा भूमि की हो गयी है । अतः न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 को पुर्नविलोकित किया जाकर पुनः निर्णय पारित करने का आदेश पारित किया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 05.02.2019 के द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद मियाद अवधि पेश किये एवं उक्त प्रार्थना पत्र रिव्यू की परिधि में नहीं आने के आधार पर खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 05.02.2019 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2019 निरस्त करने का निवेदन किया ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बाबवजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) के तहत पेश किया था और यह कथन किया था कि प्रार्थी के खाते एवं आधिपत्य की भूमि में आने–जाने के लिए रास्ता खसरा नम्बर 174, 173, 172 और 163 में 12 फिट चौडा कायम किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 164 की डीएलसी दर 86107/– रूपये व खसरा नम्बर 173, 174, 163 की डीएलसी दर 98408/– रूपये प्रतिबीघा के हिसाब से 15 बिस्वा भूमि की दो गुनी राशि कुल 3,69,030/– रूपये का भुगतान प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को किये जाने का आदेश पारित किया था । जबकि खसरा नम्बर 164 में से रास्ते के रूप में अंकित की गई भूमि 07 बिस्वा की मुआवजा राशि 60275/– रूपये बनती है एवं इसी प्रकार खसरा नम्बर 173, 174, 163 में से रास्ते के रूप में अंकित की गई भूमि 08 बिस्वा की मुआवजा राशि 78727/– रूपये बनती है । उक्त भूमियों में दिये गये रास्ते की कुल राशि 1,39002/– रूपये होती है । मुआवजा राशि की गणना करने में अंकगणितीय त्रुटि हुई है । सहवन से राशि अधिक अंकित की गई है इस त्रुटि को दुरूस्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.12.2018 को पेश किया था । इस प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.02.2019 के द्वारा अवधि बाधित एंव रिव्यू की परिधि में नहीं आने के कारण खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर अपील पेश की जा रही है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है । किसी प्रार्थना पत्र आदेश अथवा नियम के प्रावधान गलत अंकित कर दिये जाने से उस प्रार्थना पत्र को उस आदेश अथवा नियम के तहत पेश किया गया प्रार्थना पत्र नहीं माना जा सकता बल्कि प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर उस प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना चाहिए । न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया था वह न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में किये गये अंकित गणितीय सम्बन्धी भूल के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया था । इस प्रकार के प्रार्थना पत्र सीपीसी की धारा 152 के तहत माना जाना चाहिए । ऐसे प्रार्थना पत्र को पेश करने के लिए मियाद नहीं होता है और आदेशों में लेखन या अंक गणितीय भूल न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से अथवा पक्षकारों में से किसी के भी आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकती है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट को नहीं सुना जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2019 निरस्त फरमाया जावे और मुआवजे की राशि में जो गणितीय त्रुटि की गई है उसे दुरूस्त किया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 14.07.2017 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर 3,69030/– रूपये के मुआवजे की राशि जमा कराने पर रास्ता कायम किया है । अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुआवजे राशि में हुई त्रुटि को दुरूस्त करने के लिए प्रार्थना की है । इस प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.02.2019 को खारिज किया है जिसके खिलाफ यह अपील पेश की गई है ।

10. विद्धान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा यक कथन किया गया है कि यह प्रार्थना पत्र आदेश 47 नियम 01 सीपीसी के तहत नहीं वरन् धारा 152 सीपीसी के तहत पेश किया गया था और मुआवजे की राशि की गणना में जो त्रुटि हुई है उसे दुरूस्त करने की प्रार्थना की गई है । यदि विद्धान् अभिभाषक अपीलान्ट के इस तर्क को मान लिया जावे और प्रार्थना को धारा 152 सीपीसी के तहत पेश किया माना लिया जावे तो भी धारा 152 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय के खिलाफ अपील धारा 104 सीपीसी के अनुसार इस न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है । तद्नुसार अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

11. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट के द्वारा इस न्यायालय में अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.07.2017 के खिलाफ नहीं वरन् दिनांक 05.02.2019 के खिलाफ पेश की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.02.2019 के खिलाफ अपील न्यायालय हाजा में मेन्टेबल नहीं है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.02.2019 के खिलाफ चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है ।

13. निर्णय आज दिनांक 16.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा